नगर परिषद बिलासपुर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवम निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 4/11 से 3/13

भाग–I

1 प्रारम्भिकः–

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255 (1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 1–376/81–फिन(एल0ए0)–खण्ड–IV दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर परिषद बिलासपुर, जिला बिलासपुर के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य किया गया।

नगर परिषद बिलासपुर के अंकेक्षण अवधि 4/11 से 3/13 तक निम्नलिखित प्रधान तथा कार्यकारी अधिकारी रहे हैः–

(1) प्रधानः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्रीमती रजनी शर्मा	4/11 से 3/13

(2) कार्यकारी अधिकारी :–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री प्रकाश चन्द शर्मा	4/11 से 3/13

1.1 नगर परिषद बिलासपुर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के अवधि 1.4.11 से 31.3.2013 तक के अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन में पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	गम्भीर अनियमितता का सार	पैरा सं0	राशि ₹ लाख
1	अनुदान राशि का अनियमित व्यय	5.1	6.08
2	अनुदान राशि प्राप्ति होने के पश्चात भी निर्माण कार्यों को शुरू न करना	5.2	14.89

3	किराये व देय ब्याज की वसूली न करना	6	65.76
4	शेष किराया, ब्याज की वसूली न होने के कारण दुकानों की खाली करने हेतु कोर्ट में लम्बित मामले	6.1	53.59
5	दुकानों के किराये की वसूली न करना	6.2	7.81
6	विश्राम गृह, रैहन बसेरा के किराये की वसूली न करना	7	2.47
7	पालिका बाजार के निर्माण हेतु अग्रिम जमा राशि में से अनुपयुक्त राशि हिमुडा कार्यालय से वसूली न करना	8	6.89
8	नगर परिषद द्वारा हिमुडा कार्यालय में पार्किंग के निर्माण हेतु जमा राशि के बावजूद निर्माण कार्य आरम्भ न करने बारे	8 (क)	1.16 (करोड़)
9	मोबाईल टावरों की स्थापना एवं नवीनीकरण फीस की वसूली न करना	17	3.00

1.2 गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः—

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण के परिशिष्ट **(i)** में दर्शाई गई है। प्रायः यह देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर परिषद द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है जोकि अत्यन्त चिन्ताजनक है। अतः परिषद इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष अभियान/कार्यवाही सुनिश्चित करें व अनुपालना से यथा समय इस विभाग को अवगत करें ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके।

भाग—II

2 वर्तमान अंकेक्षणः—

नगर पंरिषद बिलासपुर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं अवधि 1.4.11 से 31.3.13 तक का अंकेक्षण कार्य श्री तारा चन्द महन्त, (सहायक नियन्त्रक लेखा परीक्षा) व श्री पुनीत कुमार (आर्टिकल सहायक) द्वारा बिलासपुर में दिनांक 20.01.2014 से 20.03.2014 तक किया गया।

विस्तृत जांच हेतु 2011—12 में आय के लिये माह 8/11 तथा व्यय के लिये भी माह 3/12 तथा वर्ष 2012—13 में आय के लिये माह 4/12 तथा व्यय के लिये माह 12/12 के लेखाओं का चयन किया गया है जिसके परिणामों को आगामी पैरों में दर्शाया गया है।

नगर परिषद बिलासपुर के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रेषित सूचनाओं के आधार पर किया गया है। किसी प्रकार की अधूरी

व छुपाई गई सूचनाओं के लिये लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा क्योंकि अंकेक्षण का उत्तरदायित्व केवल विस्तृत जाँच हेतु चयनित मासों तक ही सीमित होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

नगर परिषद बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं अवधि 1.4.11 से 31.3.2013 तक के लेखा परीक्षा का शुल्क का आंकलन ₹43700/–(तरतालीस हजार सात सौ केवल) किया गया है। कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद बिलासपुर को सहायक नियन्त्रक (लेखा परीक्षा) की अधियाचना संख्या स0नि0 आडिट–फिन(एल0ए0डी0)–331 दिनांक 20.03.2014 द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि को बैंक ड्राफ्ट द्वारा निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग शिमला–171009 को भेजने का आग्रह किया गया है।

4 वित्तीय स्थितिः–

नगर परिषद बिलासपुर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं अवधि 1.4.11 से 31.3.2013 की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से रही, जिसका बैंक खातों में शेष राशि सहित विस्तारपूर्वक विवरण परिशिष्ट (II) पर भी दिया गया है।

(I) मुख्य रोंकड़ बही

	विवरण	**वर्ष 2011–2012**	**राशि (₹)**
i	दिनांक 1.4.2011 को रोकड़ बही के अनुसार प्रारम्भिक शेष		9002624
ii	वर्ष 2011–12 में अर्जित ब्याज राशि		347816
iii	वर्ष 2011–12 में प्राप्त अनुदान राशि		31299369
iv	वर्ष 2011–12 में प्राप्त स्वयं स्त्रोतों से आय		03482227
V	वर्ष 2011–12 में कुल प्राप्त राशि		44132036
Vi	वर्ष 2011–12 में भुगतान की गई राशि		38227656
vii	दिनांक 31.3.12 को अन्तशेष राशि		05904380
	विवरण	**वर्ष 2012–2013**	**राशि (₹)**
i	दिनांक 1.4.2012 को रोकड़ बही के अनुसार प्रारम्भिक शेष		5904380

ii	वर्ष 2012–13 में अर्जित ब्याज राशि	0509447
iii	वर्ष 2012–13 में प्राप्त अनुदान राशि	45342757
iv	वर्ष 2012–13 में प्राप्त स्वयं स्त्रोतों से आय	03909462
V	वर्ष 2012–13 में परिषद को प्राप्त कुल राशि	55666046
Vi	वर्ष 2012–13 में भुगतान की गई राशि	49376636
vii	दिनांक 31.3.13 को अन्तशेष राशि	06289410

दिनांक 31.3.2013 को नगर परिषद बिलासपुर के विभिन्न बैंक खातों में कुल जमा राशियों का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	**खाता सं0**	**बैंक का नाम**	**राशि (₹)**
1	5566	राज्य सहकारी बैंक बिलासपुर	2093163.60
2	12388	–यथोपरि–	4071642.50
3	923	भारतीय स्टेट बैंक बिलासपुर	89321.00
4	12197	–यथोपरि–	35283.00
		कुल योग राशि (₹)	**6289410.10**

4.2 (तेरहवाँ राज्य वित्त आयोग रोकड़ बही):– नगर परिषद बिलासपुर के तेरहवाँ राज्य वित्त आयोग की वित्तीय स्थिति का विवरण प्रतिवेदन के परिशिष्ट (III) में दिया गया है।

वर्ष	**प्रारम्भिक शेष**	**वर्ष में प्राप्त ब्याज (₹)**	**वर्ष में प्राप्त अनुदान राशि (₹)**	**कुल जमा राशि (₹)**	**वर्ष के दौरान व्यय**	**अन्तशेष राशि (₹)**
2011–12	2434600	114465	12917447	15466512	4855315	10611197
2012–13	10611197	457970	18769400	29838567	10179570	19658997
	रोकड़ बही के अनुसार 31.3.2013 को अन्तशेष राशि (₹)					₹19658997
	बैंक खाता संख्या 15346 के अनुसार दिनांक 31.3.2013 को अन्तशेष राशि					₹19670197
	अन्तर राशि					**₹11200**

अन्तर का समाधानः—

नगर परिषद द्वारा दिनाँक 31.3.2013 तक भुगतान हेतु चैक जारी किये है जो संस्था द्वारा रोकड़ बही से घटा दिये गये है परन्तु बैंक पास बुक में माह 2013 के बाद घटाये गये है।

क्र0सं0	**चैक सं0**	**राशि**
1	983624	7450
2	983625	3750
	योग राशि (₹)	**11200**

5 अनुदानः—

नगर परिषद बिलासपुर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं अवधि 4/11 से 3/13 तक परिषद को विभिन्न विभागों संस्थाओं तथा शहरी विकास निदेशालय से प्राप्त अनुदान राशि की वित्तीय स्थिति निम्नलिखित है। अनुदान राशि का विस्तारपूर्वक विवरण इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट (iv) में दिया गया है।

(I) मुख्य रोकड़ बही के अनुसार अनुदान राशि विवरणः—

वर्ष	**प्रारम्भिक शेष**	**प्राप्त अनुदान राशि (₹)**	**कुल प्राप्त अनुदान राशि**	**वर्ष के दौरान व्यय**	**अन्तशेष राशि**
2011—12	9002624	31299369	40301993	32885207	7416786
2012—13	7416786	45342757	52759543	45861878	6897665
(II तेरहवाँ वित्त आयोग अनुदान राशि विवरण)					
2011—12	2434600	12917447	15352047	4855315	10496732
2012—13	10496732	18769400	29266132	10179570	19086562
	वर्ष 2011—12 से 2012—13 तक प्राप्त ब्याज की राशि				(+) 572435
		कुल अन्त शेष राशि (₹)			**19658997**

5.1 नगर परिषद द्वारा प्रस्तुत वित्तीय स्थिति पैरा संख्या 4 में दिनाँक 31.3.2013 को रोकड़ बही का अन्तशेष ₹6289410 दर्शाया गया है जबकि पैरा संख्या 5 परिशिष्ट iv में दिनांक

31.3.2013 को अनुदान की राशि का अन्तशेष ₹6897665 दर्शाया गया है जो आपस में मेल नहीं खाते तथा विरोधात्मक है। अतः अनुदान की शेष राशि (6897665–6289470)=₹608255 का अन्य मदों पर अनियमित रूप से व्यय किया गया है। संकलित रूप से किन–2 मदों पर व्यय किया है का स्पष्ट अभिलेख अंकेक्षण में नहीं दर्शाया गया है यह अनियमित है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए। ₹608255/– की प्रतिपूर्ति सम्बन्धित अनुदान में करने के पश्चात उपरोक्त अनुपयोगी पड़ी राशि को उसी उद्देश्य हेतु नियमानुसार समयवध व्यय किया जाए जिस उद्देश्य हेतु इसे सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया था अन्यथा राशि का प्रत्यर्पण सम्बन्धित विभाग को किया जाए।

5.2 अनुदान राशि ₹14.89 लाख के कार्यों को प्रारम्भ न करनाः–

नगर परिषद बिलासपुर द्वारा जारी विवरणानुसार 31.3.2013 को अनुदान राशि ₹1489691/– के कार्यों को शुरू नहीं किया गया था। अनुदान की राशि का पूर्ण विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट (V) में दिया गया है। अनुदान की यह राशि वर्ष 1995–96 से वर्ष 2010–11 तक विभिन्न मदों के तहत नगर परिषद को विभिन्न कार्यों को पूरा करने हेतु स्वीकृत हुई थी परन्तु नगर परिषद द्वारा इन कार्यों को प्रारम्भ नहीं किया गया। नगर परिषद द्वारा इन कार्यों को शुरू न करने का औचित्य स्पष्ट करें। अनुपयुक्त राशि को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके उसी उद्देश्य हेतु व्यय किया जाए जिस उद्देश्य हेतु इसे प्राप्त किया गया था अन्यथा इस राशि को सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं को नियमानुसार वापिस किया जाये।

6 ₹65.76 लाख के किराये व देय ब्याज की वसूली न करनाः–

नगर परिषद बिलासपुर की दुकानों, बूथों, स्टालों से दिनाँक 31.3.2013 को किराये की राशि संलग्न परिशिष्ट (vi) के अनुसार ₹6576345/– की वसूली हेतु शेष थी। इस राशि में अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार ब्याज की राशि ₹2894746/– सम्मिलित है। इस राशि की वसूली हेतु नगर परिषद द्वारा कोई ठोस कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है जोकि अत्यन्त चिन्ता का विषय है। अतः मासिक किराये की राशि नियमित रूप से वसूल न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 87 के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में

लाई जाए तथा निश्चित समय अवधि के भीतर शेष राशि की वसूली करना सुनिश्चित किया जाए।

6.1 ₹53.59 लाख के शेष दुकानों का किराया, ब्याज की वसूली न होने पर दुकानों का खाली करने हेतु कोर्ट में लम्बित मामलेः–

नगर परिषद बिलासपुर के अंकेक्षण अवधि 4/2011 से 3/2013 तक के दौरान दुकानों के किराये व ब्याज के रूप में दिनाँक 31.3.2013 को संलग्न परिशिष्ट (vii) के अनुसार ₹5359858/– राशि की वसूली शेष थी। इस राशि में दुकानों के शेष किराये के रूप में ₹2750878/– राशि तथा ब्याज की शेष राशि ₹2608980/– सम्मिलित है। दिनांक 31.3.2013 को दुकानों के शेष किराये, ब्याज तथा दुकानों को खाली करने हेतु एस0डी0एम0 कोर्ट बिलासपुर में 11 मामले वसूली हेतु लम्बित है। आवश्यक कार्यवाही करने के पश्चात निर्णय से इस अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6.2 दुकानों के किराये की बकाया राशि ₹7.81 लाख की वसूली न करनाः–

नगर परिषद बिलासपुर के अंकेक्षण अवधि 4/11 से 3/2013 तक किराया माँग व संग्रह (वसूली) रजिस्टर की जाँच करने पर पाया गया कि निम्नविवरणानुसार परिषद द्वारा विभिन्न दुकानदारों से ₹781643/–की वसूली अंकेक्षण अवधि के दौरान नहीं की गई यह अत्यन्त चिन्ता का विषय है जबकि परिषद द्वारा इन दुकानों को नामीनल दरों पर आबंटित करने के बावजूद भी दुकानदारों से बकाया राशि न वसूलने का औचित्य स्पष्ट करें तथा बकाया राशि की वसूली हेतु शीध्र अतिशीध्र नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाए।

(I) (मीट मार्किट)

क्र0सं0	दुकान/स्टाल नं0	नाम दुकानदार	किराया प्रतिमाह (₹)	दिनाँक 31.3.2013 तक वसूली योग्य राशि (₹)
1	34	श्री जफर खान	375	79764
2	7	श्री माजिद मुहम्मद	200	44241
3	9	श्री बलदेव	200	28074
4	2	श्री कुलदीप कुमार	500	23720

II मेन मार्किट (अप्पर)				
5	5	श्री जगदीश कुमार	700	46647
6	7	श्री मरचू राम	700	57184
7	9	श्री ललित कुमार	400	21500
III मेन मार्किट (लोअर)				
8	1	श्री हेमन्त कुमार	700	105871
9	2	श्री सुनील कुमार	700	143617
10	4	श्री जितेन्द्र चोपड़ा	700	93373
11	28	श्री नरेंन्द्र सिंह	770	53002
IV डियारा सैक्टर				
12	4	श्री नंद लाल	3450	84650
			कुल राशि	**₹781643**

6.3 कामकाजी महिला आवास में रह रही महिलाओं से किराये ₹17334/– की वसूली न करनाः–

नगर परिषद बिलासपुर द्वारा सँचालित कामकाजी महिला आवास का दिनाँक 31.3.2013 तक किराये की राशि ₹17334/– वसूली हेतु शेष थी जिसका वर्णन निम्नानुसार है। इस राशि की वसूली सम्बन्धित महिलाओं से करके परिषद निधि में जमा करवाना सुनिश्चित करें।

क्र0सं0	नाम	कमरा नं0	दिनाँक 31.3.2013 तक बकाया राशि (₹)
1	श्रीमती सुनीता कुमारी	104	1100
2	श्रीमती रचना कुमारी	105	1100
3	श्रीमती शकुन्तला देवी	106	400
4	श्रीमती सलोचना देवी	108	300
5	अभिलाषा कुमारी	202	600

6	शीनम डोगरा	203	600
7	श्रीमती बीना कुमारी	205	3900
8	रीना कुमारी	206	934
9	निशा ठाकुर	207	800
10	भागों देवी	208	800
11	शिप्रा संगर	209	2000
12	मीरा बाई	303	600
13	सरोज देवी	301	400
14	रीना देवी	304	1600
15	भावना चौहान	305	1600
16	बीना देवी	309	600
		कुल योग राशि (₹)	**17334**

7 विश्राम गृह, रैहन बसेरा व अन्य भवनों के किराये ₹2.47 लाख की वसूली न करनाः—

अंकेक्षण अवधि 4/2011 से 3/2013 तक के दौरान आय से सम्बन्धित विभिन्न अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि निम्नविवरणानुसार नलवाड़ी मेले के दौरान उपायुक्त कार्यालय द्वारा अधिग्रहण किये गये परिषद विश्राम गृह, रैहन बसेरा व सामुदायिक भवनों के किराये ₹247100/— की वसूली शेष है।

अंकेक्षण में चर्चा के दौरान बताया गया कि राज्य स्तरीय नलवाड़ी मेला हर वर्ष 17 मार्च से 23 मार्च तक परिषद के विश्राम गृह, रैहन बसेरा तथा सामुदायिक भवनों का उपायुक्त कार्यालय द्वारा अधिग्रहण किये गये थे। इस अवधि के किराये का निम्नविवरणानुसार ₹247100/— का भुगतान प्रशासन बिलासपुर द्वारा नहीं किया गया। परिषद द्वारा इन भवनों के किराये की वसूली सम्बन्धी कोई भी अभिलेख अंकेक्षण मे ंप्रस्तुत नहीं किया गया। उपायुक्त कार्यालय सें किराये की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट करें तथा इस राशि की वसूली तुरन्त प्रशासन बिलासपुर से करके परिषद निधि में जमा करवाये अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाये।

क्र0सं0	अधिग्रहित/अधिग्रहण किये भवनों का विवरण	किराया राशि प्रतिदिन (₹)	मेला विवरण	राशि (₹)	अंकेक्षण अवधि (2 वर्ष) 4/11 से 3/13 तक वसूली योग्य राशि (₹)
1	रैहन बसेरा 3 कमरे	250x3=750	हर वर्ष 17 मार्च से 23 मार्च (7 दिन)	7x750=5250	2x5250=10500
2	रैहन बसेरा डोरमैटरी (13 कमरे)	13x50=650	—यथोपरि—	7x650=4550	2x4550=9100
3	विश्राम गृह (गरूद्वारा रोड)हाल बड़े 2 नं0	6500 प्रतिदिन 6500x2=13000	7 दिन	7x13000=91000	2x91000=182000
4	विश्राम गृह (गुरूद्वारा रोड) 3 कमरें	250x3=750	7 दिन	7x750=5250	2x5250=10500
5	समुदायिक भवन हाल	2500 प्रतिदिन	7 दिन	7x2500=17500	2x17500=35000
				कुल राशि (₹)	**247100**

8 हिमुडा कार्यालय से अनुपयुक्त राशि ₹689368/— की वसूली न करनाः—

आई0डी0एस0एम0टी0 परियोजना के अन्तर्गत नगर परिषद बिलासपुर को पालिका बाजार के निर्माण के अन्तर्गत शॉंपिंग काम्पलैक्स बनवाने हेतु केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत ₹48/— लाख का राज्य भाग के अन्तर्गत ₹32 लाख तथा अन्य साधानों से ₹17 लाख अर्थात ₹97 लाख की राशि प्राप्त की गई। उपरोक्त प्राप्त की गई राशि में से निम्नानुसार उक्त निर्माण कार्य ₹83 लाख हेतु हिमुडा (HIMUDA) कार्यालय में जमा की गई है।

वर्ष	जमा धनराशि
2000	15 लाख
2003	15 लाख
2005	3 लाख
2008	50 लाख
कुल जोड़	**83 लाख**

अंकेक्षण को बताया गया कि हिमुडा द्वारा पार्किंग स्थल का निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया गया है तथा कार्यकारी अभियन्ता हिमुडा के पत्र संख्या HIMUDA/MD/AB/A-15/2011/4463-64 दिनाँक 12.9.11 द्वारा कुल ₹7610632 के उपयोगिता प्रमाण पत्र कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद कार्यालय बिलासपुर को भेजे गये है तथा शेष अनुपयुक्त राशि ₹689368 (8300000–7610632) की राशि हिमुडा से अभी तक प्राप्त नहीं की गई जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुये शेष अनुपयुक्त पड़ी राशि को शीध्र वसूल करना सुनिश्चित किया जाए।

(क) ₹11600000/– (एक करोड़ सोलह लाख रूपये) सी0ई0ओ0 हिमुडा कार्यालय में जमा करवाने के पश्चात भी निर्माण को आरम्भ न करना:–

नगर परिषद बिलासपुर द्वारा आर0जी0यू0आर0एफ0 योजना के अन्तर्गत निदेशक शहरी विकास विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला के पत्र संख्या यू0डी0 एच(एफ)(10)–2005/आर0जी0यू0आर0एफ0–1144 दिनाँक 23.4.2008 के अन्तर्गत ₹16400000.00 स्वीकृत डी0पी0आर0 के अनुरूप निम्नलिखित कम्पोनेन्ट हेतु प्राप्त की गई।

1) बस स्टैन्ड के समीप पार्किंग के निर्माण हेतु	11657350
2) कूड़ा कचरा प्रबन्धन हेतु	4742650
जोड़	**16400000**

नगर पालिका द्वारा अपने प्रस्ताव संख्या 109 दिनाँक 10.6.12 द्वारा पार्किंग के निर्माण कार्य को करवाने हेतु ₹11600000/– (एक करोड़ सोलह लाख रूपये) (CEO-cum-Secretary) हिमुडा के कार्यालय में बैंक ड्राफ्ट संख्या 446206 दिनाँक 6.12.2012 द्वारा जमा की गई लेकिन उपरोक्त निर्माण कार्य हिमुडा द्वारा माह 3/11 तक आरम्भ नहीं किया गया है। राशि के जमा करने के एक साल से अधिक समय के पश्चात में कार्य आरम्भ न करना बहुत ही चिन्ताजनक है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए निर्माण कार्य को अभिलम्ब पूर्ण करवाया जाए ताकि नागरिकों को समयबध सुविधा प्राप्त हो सके।

(ख) निर्माण कार्य हेतु राशि जमा करवानें के पश्चात भी प्रस्तावित कार्य के निष्पादन न करने पर परिषद को ₹1365061/– ब्याज के सम्भावित वित्तीय हानि:–

नियमों के अन्तर्गत किसी भी निर्माण कार्य के निष्पादन से पहले सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात ही राशि जमा की जाती है। उपरोक्त पैरा संख्या 8 (क) में वर्णित

नगर परिषद बिलासपुर द्वारा अपने प्रस्ताव संख्या 109 दिनाँक 10.6.2012 द्वारा बस स्टैन्ड के पास पार्किंग के निर्माण हेतु ₹11600000/– (एक करोड़ सोलह लाख रूपये) बैंक ड्राफ्ट संख्या 446206 दिनाँक 6.12.2012 द्वारा सी0ई0ओ0 एवम सचिव हिमुडा के कार्यालय में जमा की गई परन्तु कार्य माह 6.12.2012 से माह 31.3.2014 तक निष्पादित/शुरू नहीं किया गया है जो बहुत ही आपत्तिजनक है जिससे न केवल लोगों को पार्किंग की सुविधा से वंचित रखा गया बल्कि परिषद को पार्किंग से होने वाली आय से वंचित होना पड़ा। अगर उपरोक्त राशि प्रचलित ब्याज दरो पर निवेशित भी रहती तो 9 प्रतिशत की दर से अवधि 31.3.2014 तक लगभग एक वर्ष तीन महीनों अर्थात पांच तिमाहियों पर निम्नानुसार ₹1365061/– ब्याज की राशि अर्जित की जानी थी।

1	पहली तिमाही	400+9/400x1160000=11861000
2	द्वितीय तिमाही	400+9/400x11861000=12127873
3	तृतीय तिमाही	400+9/400x12127873=12400750
4	चतुर्थ तिमाही	400+9/400x12400750=12679767
5	पांचवी तिमाही	400+9/400x12679767=12965061

कुल अर्जित की जाने वाली ब्याज की राशि ₹12965061–₹11600000=₹1365061 अतः राशि जमा करवाने पर भी कार्य शुरू न करने पर परिषद को लाखों रूपये का नुकसान उठाना पड़ा है। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। यह प्रकरण परिषद के उच्च्व अधिकारियों के विशेष ध्यान में आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

9 सीमेन्ट की पूर्ति नगर परिषद द्वारा विभागीय तौर पर न करनाः–

निम्न निर्माण कार्यों में सीमेन्ट का उपयोग संविदाकारों द्वारा स्त्तर पर ही किया गया जबकि निदेशक, शहरी विकास की पत्र संख्या यू0डी0 एच(एफ0)(10) 2/2005–9750–9808 दिनांक 6.9.2005 द्वारा परामर्श दिया गया था कि सीमेन्ट आदि की आपूर्ति संविदाकार को सम्बन्धित पालिका द्वारा अपने स्त्तर पर की जाए ताकि कार्य की गुणवता प्रभावित न हो लेकिन इन प्रकरणों में उपरोक्त निर्देशों के अनुसार अपेक्षित कार्यवाही नहीं की गई शहरी निदेशालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालना न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए यदि विभागीय तौर पर सीमेन्ट जारी किया जाता तो ₹584000/– (सीमेन्ट बैग जितने प्रयोग किये गये 8350 जितना प्रति बैग अधिक व्यय किया गया ₹70) की बचत की जा सकती थी। यह प्रकरण परिषद के उच्च्व अधिकारियों के विशेष ध्यान में आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

क्र0सं0	वा0सं0 व माह	कार्य का नाम	संविदाकार का नाम	सीमेन्ट बैग की खपत
1	5/11	वार्ड नं0 में पुलिस थाना से निचले रास्ते पर रेलिंग का कार्य	श्री नरेन्द्र कुमार	1 बैग
2	5/11	कालेज चौक बिलासपुर में वर्षा शालिका का निर्माण कार्य	श्री अच्छरू राम	8 बैग
3	6/11	धौलरा से लखनपुर तक सड़क का निर्माण कार्य	श्री सन्जू कुमार	48 बैग
4	7/11	डेरा में कुहल (drain) का निर्माण कार्य	श्री राज कुमार	13 बैग
5	7/11	रोड़ा सैक्टर में स्टैप रेलिंग का निर्माण कार्य	श्री नरेन्द्र कुमार	3 बैग
6	7/11	धौलरा से लखनपुर तक सड़क का निर्माण कार्य	श्री लेखा कुमार	160 बैग
7	7/11	वार्ड नं0 3 में पार्क के विकास का निर्माण कार्य	–यथोपरि–	12 बैग
8	8/11	धौलरा से लखनपुर तक सड़क का निर्माण कार्य	–यथोपरि–	118 बैग
9	8/11	वार्ड नं0 8 में नाला का नौण में रास्ते का निर्माण कार्य	श्री सन्जू	87 बैग
10	8/11	वार्ड नं0 10 में रास्ते की मुरम्मत का कार्य	श्री सन्जू	38 बैग
11	9/11	वार्ड नं0 11 में बी0डी0ओ0 कार्यालय के समीप पार्किंग का निर्माण कार्य	श्री करतार सिंह	172 बैग
12	10/11	वार्ड नं0 3 श्री दुर्गा मन्दिर में रास्ते का निर्माण कार्य	श्री सूर्या प्रकाश	61 बैग

13	10/11	वार्ड नं0 6 में सड़क की मुरम्मत का कार्य	श्री नरेन्द्र कुमार	144 बैग
14	10/11	वार्ड नं0 2 श्री दुर्गा मन्दिर में पार्किंग का निर्माण कार्य	सन्जू कुमार	257 बैग
15	10/11	वार्ड नं0 4 में प्रोटेक्शन वाल का निर्माण कार्य	नरेश कुमार	49 बैग
16	10/11	वार्ड नं0 3 में पार्क के विकास का कार्य	नरेश कुमार	16 बैग
17	11/11	वार्ड नं0 1 में पार्किंग का निर्माण कार्य	श्री करतार सिंह	234 बैग
18	11/11	धौलरा गोपाल वेदी के घर के पास रीटेनिंग वाल का निर्माण कार्य	सन्जू कुमार	67 बैग
19	11/11	वार्ड नं0 9 डेरा में पार्क के विकास का कार्य	स्ट्राईकर ब्रदर्ज	25 बैग
20	12/11	वार्ड नं0 5 मेन मार्किट में सड़क की मुरम्मत का कार्य	प्रेम लाल	267 बैग
21	12/11	जन्जधर से धौलरा तक रास्ते का निर्माण कार्य	राज कुमार	41 बैग
22	12/11	वार्ड नं0 11 रास्ते की मुरम्मत कार्य	देविन्द्र सिंह	66 बैग
23	12/11	कोसरियाँ में पानी के टैंक के समीप रास्ते का निर्माण कार्य	अच्छर सिंह	81 बैग
24	1/12	वार्ड नं0 1 में रास्ते के साथ रेलिंग का निर्माण कार्य	नरेन्द्र कुमार	25 बैग
25	1/12	कम्यूनीटी सैन्टर में रीटेनिंग वाल का निर्माण कार्य	हाकम चन्द	134 बैग
26	2/12	वार्ड नं0 11 वी0डी0ओ0 कार्यालय के पास पार्किंग का	क्रतार सिंह	77 बैग

		निर्माण कार्य		
27	2/12	वार्ड नं0 8 में रीटेनिंग वाल को मुरम्मत का कार्य	अच्छरू राम	43 बैग
28	2/12	धौलरा से नाला का नौण में रीटेनिंग वाल का निर्माण कार्य	नैन सिंह (Nain Singh)	149 बैग
29	2/12	धौलरा विश्राम गृह से हाऊसिंग बोर्ड तक सड़क की मुरम्मत का शेष कार्य	–यथोपरि–	125 बैग
30	2/12	वार्ड नं0 10 में रीटेनिंग वाल का निर्माण कार्य	नरेश कुमार	98 बैग
31	2/12	कोसरियाँ में रीटेनिंग वाल का निर्माण कार्य	पवन कुमार	207 बैग
32	2/12	लुहणू के समीप रीटेनिंग वाल का निर्माण कार्य	प्रेम लाल	77 बैग
33	2/12	वार्ड नं0 1 में रेलिंग का निर्माण कार्य	राज कुमार	16 बैग
34	2/12	धौलरा रेस्ट हाऊस से हाऊसिंग बोर्ड कलौनी (Phase-I) में सड़क की मुरम्मत का कार्य	सन्जू	293 बैग
35	2/12	वार्ड नं0 5 हनुमान मन्दिर में सड़क की मुरम्मत का कार्य	नरेन्द्र कुमार	139 बैग
36	3/12	रोड़ सैक्टर वार्ड नं0 3 में रास्ते की मुरम्मत का कार्य	श्री सूर्य प्रकाश	41 बैग
37	3/12	पुलिस लाईन के समीप रेलिंग का निर्माण कार्य	नरेन्द्र कुमार	25 बैग
38	3/12	लुहणू से भरतपुर तक सड़क का निर्माण कार्य	अच्छरू राम	156 बैग
39	3/12	वार्ड नं0 11 में रास्ते का निर्माण कार्य	प्रेम लाल	281 बैग

i	वर्ष 2011–12 के दौरान ठेकेदार द्वारा स्वयं खरीदे गये सीमेन्ट का प्रति बैग मूल्य	₹300
ii	वर्ष 2011–12 में सीविल सप्लाई से खरीदने पर प्रति बैग लागत 215 अन्तर 300–215=	₹85 प्रति बैग
	अतः वर्ष 2011–12 में कार्य लागत में अनावश्यक बढ़ौतरी	3857x85=327845

(ख) वर्ष 2012–13 में ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्यों में स्वयं उपलब्ध करवाकर खपत किये गये सीमेन्ट की लागत व विवरणः–

क्र0सं0	**वा0सं0 व माह**	**कार्य का नाम**	**संविदाकार का नाम**	**सीमेन्ट बैग की खपत**
1	4/12	हाऊसिंग बोर्ड कलोनी के समीप रास्ते का निर्माण कार्य।	श्री सूर्या प्रकाश	309 बैग
2	4/12	वार्ड नं0 10 में पठानिया के घर के समीप रीटिनिंग वाल का निर्माण कार्य।	श्री अच्छरू राम	84 बैग
3	4/12	वार्ड नं0 4 में पुलिस वार्डन के समीप सड़क का निर्माण कार्य।	श्री गौरव सिंह	23 बैग
4	5/12	सुमीत मेहता के घर के समीप रास्ते का निर्माण कार्य।	राज कुमार	42 बैग
5	5/12	एन एच 21 चेत राम व दूसरों के घर से लखनपुर तक सड़क का निर्माण कार्य	राज कुमार	184 बैग
6	5/12	वार्ड नं0 11 में रास्ते का निर्माण कार्य।	श्री रविन्द्र सिंह	67 बैग
7	6/12	वार्ड नं0 10 में भूपेन्द्र के घर के समीप रिटेनिंग वाल	श्री नरेश कुमार	86 बैग

		का निर्माण कार्य।		
8	6 / 12	वार्ड नं0 1 में पार्किंग का निर्माण कार्य।	श्री करतार सिंह	200 बैग
9	8 / 12	जीत राम के घर के पास रिटेनिंग वाल का निर्माण कार्य।	श्री प्रम लाल	46 बैग
10	8 / 12	वार्ड नं0 3 में गेट की मुरम्मत का निर्माण कार्य	श्री सूर्या प्रकाश	32 बैग
11	8 / 12	वार्ड नं0 4 में रास्ते की मुरम्मत का निर्माण कार्य	सन्जू कुमार	44 बैग
12	9 / 12	इन्डोर बाक्सिंग स्टेडियम बिलासपुर की मुरम्मत का कार्य।	राजेश कुमार	6 बैग
13	9 / 12	वार्ड नं0 3 में रिटेनिंग वाल का निर्माण कार्य।	पवन कुमार	126 बैग
14	9 / 12	टाऊन पलानिंग अधिकारी कार्यालय के कोर्टयार्ड में रेन हावेस्टींग टेंक का निर्माण कार्य।	नरेश कुमार	18 बैग
15	10 / 12	कालेज चौक बिलासपुर के समीप रेन सेलटर का निर्माण कार्य।	श्री अच्छरू राम	12 बैग
16	10 / 12	लखनपुर में अकरम के घर के समीप रिटेनिंग वाल का निर्माण कार्य।	नरेश कुमार	54 बैग
17	10 / 12	वार्ड नं0 1 में LIC भवन के समीप रास्ते का साथ रिटेनिंग वाल का निर्माण कार्य।	मोहम्मद रफी	48 बैग

18	10/12	डयारा में ओम प्रकाश मेहता के घर के समीप रिटेनिंग वाल का निर्माण कार्य।	राज कुमार	77 बैग
19	10/12	लखनपुर बिलासपुर में पुलिस लाईन के पास रास्ते के साथ रिटेनिंग वाल का निर्माण कार्य।	नरेश कुमार	87 बैग
20	10/12	वार्ड नं0 10 में रोड़ के साथ रिटेनिंग वाल का निर्माण कार्य।	राजेश कुमार	20 बैग
21	10/12	वार्ड नं0 3 में गेट की मुरम्मत का निर्माण कार्य	सूर्या प्रकाश	12 बैग
22	10/12	वार्ड नं0 1 पुलिस थाना के समीप रेलिंग का निर्माण कार्य	नरेन्द्र	23 बैग
23	10/12	वार्ड नं0 11 में हाऊसिंग बोर्ड कलौनी में रास्ते का निर्माण कार्य	देविन्द्र सिंह	49 बैग
24	10/12	वार्ड नं0 11 में नानक राम के घर के समीप रास्ते की मुरम्मत का निर्माण कार्य (फेज–II)	देविन्द्र सिंह	17 बैग
25	11/12	वार्ड नं0 8 में विभिन्न रास्तों व पोडियों की मुरम्मत का कार्य	अच्छरू राम	24 बैग
26	11/12	वार्ड नं0 2 में रिटेनिंग वाल का निर्माण कार्य	हाक्कम चन्द	51 बैग
27	11/12	टाऊन पलानिंग अधिकारी कार्यालय के कोटयार्ड में	नरेश कुमार	396 बैग

		रेन हारवेस्टिंग टैंक का निर्माण कार्य।		
28	11/12	वार्ड नं0 10 में ओम प्रकाश मेहता के घर के पास रिटेनिंग वाल का निर्माण कार्य	राज कुमार	83 बैग

13th वित्तायोग से प्राप्त अनुदान की राशि से निर्माण में ठेकेदार द्वारा स्वयं उपलब्ध करवाये गये सीमेन्ट की खपत व लागत का ब्यौरा

29		धौलरा में लखनपुर तक सड़क का निर्माण कार्य।	नरेश कुमार	457 बैग
30	5/12	वार्ड नं0 2 में वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में टायलेट क निर्माण कार्य।	नरेश कुमार	21 बैग
31	5/12	धौलरा में लखनपुर तक सड़क का निर्माण कार्य	नरेश कुमार	107 बैग
32	5/12	वार्ड नं0 10 में ड्रेन की मुरम्मत का कार्य।	सन्जू कुमार	90 बैग
33	6/12	वार्ड नं0 10 व 11 में कलवर्ट (Culvart) के समीप Channalisation का कार्य	नरेश कुमार	151 बैग
34	6/12	वार्ड नं0 10 में कलवर्ट (Culvart) के समीप रिटेनिंग वाल कार्य	नरेश कुमार	53 बैग
35	6/12	लखनपुर में दलीप के मकान के समीप सड़क के साथ Drain का निर्माण कार्य	नरेश कुमार	90 बैग
36	6/12	लखनपुर में अण्डन के मकान समीप ड्रेन का	प्रेम लाल	38 बैग

		निर्माण कार्य		
37	6/12	वार्ड नं0 11 में इन्द्र कौण्डल के मकान के समीप Drain का निर्माण कार्य	प्रेम लाल	95 बैग
38	6/12	रौड़ा बिलासपुर में मकान संख्या 116–117 के समीप Drain का निर्माण कार्य	राजेश कुमार	113 बैग
39	6/12	वार्ड नं0 11 लखनपुर मीडल स्कूल के समीप ड्रेन का निर्माण कार्य	सन्जू कुमार	140 बैग
40	8/12	वार्ड नं0 11 में Drain का निर्माण कार्य	प्रेम लाल	36 बैग
41	8/12	वार्ड नं0 1 मकान नं0 44 के समीप Drain का निर्माण कार्य	श्राम लाल	94 बैग
42	8/12	वार्ड नं0 4 में Drain का निर्माण कार्य	संजीव कुमार	162 बैग
43	8/12	वार्ड नं0 8 में गर्ल स्कूल के समीप Drain का निर्माण कार्य	देव राज शर्मा	44 बैग
44	8/12	वार्ड नं0 4 में कबर्ड ड्रेन का निर्माण कार्य	हाकम चन्द	56 बैग
45	8/12	लड़कों के वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के गेट के पास ड्रेन का निर्माण कार्य	सन्जू कुमार	22 बैग
46	9/12	वार्ड नं0 5 में अकरम के घर के समीप ड्रेन Drain का निर्माण कार्य	नरेश कुमार	126 बैग
47	9/12	रौड़ा बिलासपुर आंगनबाड़ी	नरेश कुमार	10 बैग

		सैन्टर के समीप टायलेट का निर्माण कार्य		
48	10/12	वार्ड नं0 10 व 11 के कलवर्ट के समीप चैनलाईजेशन का निर्माण कार्य	नरेश कुमार	102 बैग
49	10/12	धौलरा बिलासपुर में सड़के के साथ Drain का निर्माण कार्य	राजेश कुमार	50 बैग
50	10/12	खैरिया सड़क के साथ कलवर्ट व रिटेनिंग वाल का निर्माण कार्य	हाकम चन्द	342 बैग
51	10/12	वार्ड नं0 7 में Drain का निर्माण कार्य	प्रेम लाल	413 बैग
52	10/12	टी0आर0 बलोखड़ा के घर के साथ सड़क के समीप Drain का निर्माण कार्य	नरेश कुमार	29 बैग
53	10/12	वार्ड नं0 9 में डेरा में पार्क के विकास का कार्य	स्ट्राईकर ब्रदर्ज	21 बैग
54	10/12	वार्ड नं0 1 में बलदेव के घर के समीप Drain का निर्माण कार्य	राम लाल चौधरी	31 बैग
55	10/12	वार्ड नं0 9 में Drain का निर्माण कार्य	अच्छरू राम	404 बैग
56	10/12	वार्ड नं0 5 में Drain का निर्माण कार्य	नरेन्द्र कुमार	97 बैग
57	10/12	वार्ड नं0 10 में Drain का निर्माण कार्य	राज कुमार	119 बैग
58	11/12	डी0ए0 की स्कूल चंगर में	नरेन्द्र कुमार	73 बैग

		Drain का निर्माण कार्य		
59	11/12	वार्ड नं0 5 में ड्रेन का निर्माण कार्य	नरेन्द्र कुमार	15 बैग
60	12/12	वार्ड नं0 2 में ड्रेन का निर्माण कार्य	राम लाल चौधरी	77 बैग
61	1/13	चीलिंग प्लांट के समीप ड्रेन व तिलक के घर के समीप नाले में चेनेलाईजेशन का निर्माण कार्य	सूर्य प्रकाश	411 बैग
62	1/13	वार्ड नं0 7 में ड्रेन का निर्माण कार्य	प्रेम लाल	25 बैग
63	1/13	वार्ड नं0 2 में ड्रेन का निर्माण कार्य	अच्छरू राम	135 बैग
64	1/13	वार्ड नं0 4 में ड्रेन का निर्माण कार्य	सन्जीव कुमार	11 बैग
65	1/13	वार्ड नं0 2 में ओम प्रकाश के घर के पास चेनेलाईजेशन का निर्माण कार्य	हाकम चन्द	396 बैग
66	1/13	वार्ड नं0 1 में पुलिस थाना के समीप ड्रेन का निर्माण कार्य	करतार सिंह	385 बैग
67	1/13	राजू टेलर के घर के पास नाले में चेलेनाईजेशन का निर्माण कार्य	प्रेम लाल	237 बैग
68	1/13	वार्ड नं0 9 में ड्रेन का निर्माण कार्य	राज कुमार	120 बैग
69	3/13	कचनमाला के घर के समीप ड्रेन का निर्माण कार्य वार्ड	सन्जीव कुमार	5 बैग

		नं0 4		
70	3/13	लखनपुर में राजू टेलर के घर के पास चेनेलाईजेशन का निर्माण कार्य	प्रेम लाल	166 बैग
71	3/13	चीलिंग प्लांट व तिलक के घर के पास चेनेलाईजेशन व ड्रेन का निर्माण कार्य	सूर्य प्रकाश	50 बैग
72	3/13	वार्ड नं0 5 हरियाणा हेन्डलूम के पास चेनेलाईजेशन का निर्माण कार्य	अच्छरू राम	309 बैग
73	3/13	हनुमान जी मन्दिर बिलासपुर मे ंपार्क की मुरम्मत का कार्य	राजेश कुमार	152 बैग
			कुल योग	**8350 बैग**

1) वर्ष 2012–13 के दौरान ठेकेदार द्वारा स्वयं खरीदे गये सीमेन्ट का प्रति बैग मूल्य=₹310

2) वर्ष 2012–13 में सीविल सप्लाई से खरीदे गये प्रति बैग का मूल्य ₹240

3) प्रति बैग सीमेन्ट के मूल्य में अन्तर=310–240=₹70

अतः वर्ष 2012–13में कार्य लागत में अनावश्यक बढ़ौतरी=8350X70=584500

10 परिषद द्वारा गारवेज कन्टेनर का भार तोल (माप) करवाने हेतु वाहन को बिरोजा एवं तारपीन फैक्टरी ले जाने पर किया गया अनियमित भुगतान बारेः–

वाहन संख्या एचपी–24–7117 की लॉग बुक की जाँच करने पर पाया गया कि दिनाँक 19.1.2012 से 7.1.2013 तक वाहन गारवेज कन्टेंनर का भार तोल (माप) करवाने हेतु बिरोजा व तारपीन फैक्टरी (जबली) बिलासपुर की 312 कि0मी0 यात्रा की। इन सभी यात्राओं का विवरण इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट (viii) में दिया गया है। इन सभी यात्राओं के किराये (डीजल) इत्यादि का व्यय परिषद द्वारा किया गया। परिषद द्वारा दिनांक 23.9.2011 को गारवेज कन्टेनर को खरीदने हेतु विभिन्न फर्मों से निविदायें आमन्त्रित की जिसमें मैसर्ज अशोका स्टील डियारा सैक्टर बिलासपुर को गारवेज कन्टेनर की आपूर्ति हेतु निम्नतम निविदा

के आधार पर आपूर्ति आदेश दिये गये। निविदा की शर्त के अनुसार गारवेज कन्टेनर का भार स्पेसीफिकेशन के अनुसार 550 किलोग्राम से कम नहीं होनी चाहिये था तथा प्रत्येक कन्टेनर के भार तोल का व्यय उक्त फर्म द्वारा वहन किया जाना था। इसके विपरीत परिषद द्वारा इन कन्टेनरों को अपने कार्यालय से बिरोना फैक्टरी जबली ले जाकर इनका भार करवाया गया जिस पर किया गया व्यय परिषद निधि पर उचित प्रभार नहीं था। अतः उपरोक्त यात्राओं पर किये गये व्यय को नगर परिषद अपने स्तर पर गणना करने के उपरान्त सम्बन्धित फर्म से वसूली करके राशि को परिषद निधि में जमा करवायें। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवायें।

11 (i) ₹10500 की राशि के अनियमित व गलत भुगतान बारेः–

कार्य का नामः– वार्ड नं0 1 बिलासपुर में पुलिस थाना के नीचे रेलिंग का निर्माण कार्य

ठेकेदार का नामः– श्री नरेन्द्र कुमार

अवार्ड पत्र संख्याः– 1520–21 दिनाँक 14.10.11

एमबी0पेज सं0ः–138 पेज 79

नगर परिषद द्वारा उपरोक्त कार्य को श्री नरेन्द्र कुमार संविदाकार को आंबटित किया गया। सम्बन्धित अभिलेख विस्तृत पूर्व प्राकलन व तुलनात्मक विवरणी की जाँच करने पर पाया गया कि उक्त कार्य के निष्पादन हेतु निम्न ठेकेदार ने टैण्डर प्रस्तुत किये।

1) श्री हाक्कम चन्द

2) श्री नरेन्द्र कुमार

3) श्री विनय कुमार

श्री हाक्कम चन्द ठेकेदार द्वारा कार्य में निष्पादित होने वाली मद स्टील वर्क वैल्डीड ईन बिलट अप सैक्शन में (Steel work in built up Section) ₹6900 प्रति क्विंटल की दर अंकित की गई।

बाद में अंकित दर को उचित अटेसटेशन के बैगर काटकर ₹6900 की जगह ₹7900 प्रति क्विंटल किया गया है तथा उक्त मद पर श्री नेरन्द्र कुमार ठेकेदार को अनुचित लाभ देते हुये ₹7900 प्रति क्विटल की दर से अर्थात ₹1000 प्रति क्विंटल का अधिक भुगतान किया गया। कार्य में उपरोक्त मद पर ₹1050.80 किलो स्टील उपयोग किया गया जिस पर कुल

एक हजार प्रति क्विंटल की दर से ₹1050.80X1000=₹10500 का अधिक भुगतान किया गया है जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुये अधिक भुगतान की वसूली की जानी सुनिश्चित करें।

(ii) ₹1809 का अधिक भुगतानः–

कार्य का नामः– कोसरियाँ बिलासपुर में पुरूषोत्तम व मनोज के घर वार्ड नं0 6 में रास्ते का निर्माण कार्य।

ठेकेदार का नामः– श्री नरेन्द्र कुमार

अवार्ड पंत्र संख्याः– एमसीबी (डिबलैपमैन्ट वर्कस 2011–12–916–918 दिनांक 22.6.2012

उपरोक्त कार्य को ठेकेदार को दिनांक 26.06.12 को न्यूनतम टैण्डर के आधार पर आंबटित किया गया। आबटिंत कार्य में मद एक्सीवेशन में ठेकेदार को ₹128/– प्रति घन मीटर दर निर्धारित की गई। ठेकेदार द्वारा उपरोक्त मद का कुल 18.09 घन मी0 कार्य निष्पादित किया गया। ठेकेदार को उपरोक्त मद पर एम0बी0सं0 138 पेज 85 पर ₹128 के स्थान पर ₹228 प्रति घन मीटर की दर से ₹100 प्रति घन मी की दर से अर्थात (कुल 18. 09x100=₹1809) का अधिक भुगतान किया गया जिसका पुनः अवलोकन करते हुये अधिक राशि की वसूली की जानी सुनिश्चित करें।

12 सक्षम अधिकारी की संशोधित स्वीकृति के बिना विभिन्न निर्माण कार्यों पर ₹174103/– का अनियमित भुगतानः–

चयनित माह में करवाये गये निर्माण कार्यों का अंकेक्षण करने पर यह पाया गया कि निम्न विवरणानुसार ₹174103/– का निर्माण कार्य को सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति व प्रशासनिक स्वीकृति के बिना निष्पादन करके संविदाकार को भुगतान किया गया यह अनियमित है। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अनियमित तरीके से किए गए व्यय को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमित करवाया जाए अन्यथा राशि का उचित स्त्रोत से वसूल करके परिषद खाते में जमा करवाया जाए।

क्र0सं0	एम0बी0सं0 व पेज सं0	कार्य का नाम	कार्य की तकनीकी स्वीकृति	कार्य पर व्यय किया गया	अन्तर की राशि
1	एम0बी0सं0 142 पेज 24–26	धौलरा से लखनपुर	225624	353069	127445

		तक सड़क का निर्माण कार्य			
2	एम0बी0सं0 138 पेज 71	वार्ड नं0 2 लुहणु से भरपुर में सड़क की मुरम्मत का कार्य	92550	109809	17259
3	एम0बी0सं0 138 पेज 79	वार्ड नं0 1 बिलासपुर पुलिस लाईन के नीचे रेलिंग का निर्माण कार्य	71288	100687	29399
					174103

(क) अधिभार के रूप में ₹184/– का अनुचित भुगतानः–

नगर परिषद द्वारा बिजली के बिलो ंका निर्धारित तिथि के पश्चात भुगतान करने पर निम्ननुसार ₹184 अधिभार के रूप में भुगतान किया यदि बिलों का भुगतान समय रहते किया जाता तो अधिभार से बचा जा सकता था। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा राशि को उचित स्त्रोत से वसूल करके परिषद खाते में जमा करवाया जाए।

माह	**बिल सं0**	**देय राशि**	**भुगतान की राशि**	**भुगतान की गई अतिरिक्त राशि**
1/13	111222926613	154	157	3
1/13	111222926578	2441	2483	42
1/13	111222926599	7531	7670	139
				184

(ख) गारवेज कन्टेनर की खरीद तथा उनके भार तोलने पर ₹350/– का अनुचित भुगतानः–

नगर परिषद बिलासपुर द्वारा 7 नं0 गारवेज कन्टेनर 4.50 क्यू विक मीटर कपेसिटी के मैसर्ज अशोका स्टील डियारा सैक्टर बिलासपुर से खरीदने तथा भार तोलने पर ₹350/– का

व्यय किया गया जबकि निर्धारित शर्तों के अनुसार भार तोलने का व्यय फर्म द्वारा ही वहन किया जाना था परन्तु ₹350/– का भुगतान हिमाचल प्रदेश स्टेट फोरेस्ट कारपोरेशन को ₹50 की दर से प्रति कन्टेनर भार तोलने का बिल नं0 264 दिनाँक 3.12.12 के अन्तर्गत परिषद द्वारा किया गया यह अनियमित जिसे उचित स्त्रोत से वसूल करके परिषद कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ग) पब्लिक ट्रांसपोर्ट पात्रता (Public Transport Entitlement) से उपर यात्रा करने पर अधिक राशि का भुगतानः–

हिमाचल प्रदेश सरकार प्रधान सचिव (वित्त) के कार्यालय ज्ञापन संख्या फिन (सी)–बी(7)1/2009 दिनांक 20.4.2012 के पैरा संख्या vi में विनिर्दिष्टत दिशा निर्देशों के अन्तर्गत कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद बिलासपुर जिनकी ग्रेड पे ₹4400 थी यात्रा के दौरान पब्लिक ट्रासंपोर्ट पात्रता के अनुरूप डीलक्स बस में यात्रा के पात्र थे परन्तु उपरोक्त अधिकारी द्वारा माह 12/2012 के यात्रा भत्ते दावे में दिनाँक 25.12.2012 को बिलासपुर से दिल्ली AC वोल्वों में तथा वापिसी यात्रा दिनांक 29.12.2012 को पुनः AC वोल्वों में की तथा आने व जाने का ₹918 की दर से कुल ₹1836/– का भुगतान किया गया जबकि अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि डीलक्स बस का किराया उक्त समय में बिलासपुर से दिल्ली लगभग ₹550/– व आने जाने का ₹1100/– बनता है। अतः पात्रता के अनुरूप उपरोक्त अधिकारी को यात्रा भत्ते का ₹1100/– देय बनता है जबकि भुगतान ₹1836 का किया गया अर्थात ₹736 (1836–1100) का अनियमित भुगतान किया गया इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली सुनिश्चित की जाए।

(घ) यात्रा भत्ता दावा ₹480/– का अधिक भुगतानः–

यात्रा भत्ता नियम एमआर–51 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार सरकारी वाहन में यात्रा करने उसी दिन अपने मुख्यालय में वापिस पहुँचने पर देय दैनिक भत्ते का निम्नविवरणानुसार ₹480/– का श्री प्रकाश चन्द कार्यकारी अधिकारी को अधिक भुगतान किया गया जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुये वसूली की जाना सुनिश्चित करें।

ग्रेड पे	दिनांक	डी0ए0 की वसूल की गई राशि	सरकारी वाहन पर यात्रा करने पर डी0ए0 की भुगतान योग्य अधिक राशि
4400	13.1.12	160	80
4400	23.2.2012	160	80
4400	6.03.2012	160	80
4400	7.05.2012	160	80
4400	19.05.2012	160	80
4400	18.06.2012	160	80
		कुल जोड़	**480**

(ङ) अनुबन्ध पर नियुक्ति चालक को निर्देशों के विपरीत वार्षिक वेतन वृद्धि पर ₹696/– का अधिक भुगतानः–

प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्यालय पत्र संख्या वित्त (सी)–बी (7)–5/2009 दिनाँक 22.11.2013 में विनिर्दिष्टित दिशा निर्देशों के विपरीत नगर परिषद बिलासपुर द्वारा श्री रवि कुमार अनुबन्ध पर नियुक्ति चालक को निम्नानुसार वार्षिक वेतन वृद्धि का अनियमित भुगतान किया जा रहा है जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुये अधिक भुगतान की वसूली की जानी सुनिश्चित करे।

अवधि	देय राशि	आहरित राशि	अधिक भुगतान की राशि
1.2.11 से 1.1.12	7910+237	7910+240	12x3=36
1.2.12 से 1.1.13	8147+237	8150+250	12x16=192
1.2.13 से 1.1.14	8384+237	8400+260	12x39=468
		अधिक भुगतान	**696**

13 खाद्य एवं (नागरिक) आपूर्ति निगम से 2 बैग सीमेन्ट की कम प्राप्तिः–

अवधि 4/2011 से 3/2013 में सीमेन्ट अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि परिषद द्वारा निम्नविवरणानुसार खाद्य एवं (नागरिक) आपूर्ति निगम (सिविल सप्लाई) शिमला से 2 बैग सीमेन्ट कम प्राप्त हुआ है। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व प्रबन्ध निदेशक, हिमाचल राज्य खाद्य एवं (नागरिक) आपूर्ति निगम से कम सीमेन्ट प्राप्त करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करें। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाये।

क्र0सं0	विवरण	ड्राफ्ट नं0 व दिनांक	राशि (₹)	आर्डर कुल सीमेंट बैग	प्राप्त सीमेन्ट बैग	कम प्राप्त सीमेन्ट बैग
1	एम0सी0/एन0बी0टी0 सीमेन्ट–2010 1995–1996 दिनाँक 6.10.2010	2134156/ 8.10.2010	68597	400	399	1
2	एम0बी0बी0 सप्लाई आर्डर 2012–1429–1430 दिनांक 3.10.2012	324747/ 1. 10.2012	43989	200	199	1
					कुल बैग	2 बैग

14 ₹7200/– मोबाईल फोन चार्जिज के रूप में अनियमित /अनुचित भुगतानः–

निदेशक शहरी विकास हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या यू0डी0एच0. (सी)–(7)–19/97–II–10/99–10246 दिनांक 15.09.2007 द्वारा विनिर्दिष्टत आदेशों के अनुरूप सम्बन्धित कार्यकारी अधिकारी द्वारा अपने सैल फोन को म्यूनीसीपल कार्यालय तथा निदेशालय को सूचित करने के उपरान्त कार्यालय प्रबन्धन एवम सरकारी नीतियों को सूचारू रूप से चलाने के फलस्वरूप दो महीने के ₹400/– अथवा ₹200/–प्रतिमाह सम्बन्धित कार्यकारी अधिकारी को प्रतिपूर्ति करने का प्रावधान किया गया है लेकिन कार्यकारी अधिकारी

बिलासपुर को माह 4/11 से 31.3.13 तक ₹500/– प्रतिमाह की दर से सैल फोन की प्रतिपूर्ति की गई अर्थात ₹300/–प्रतिमाह अधिक भुगतान किया गया परिणामस्वरूप माह 4/11 से 31.3.13 तक कुल ₹7200 का अधिक भुगतान किया गया है जिसकी वसूली की जानी सुनिश्चित करें।

15 वाहनः–

औसत तेल खपत का निर्धारण न करनाः–

अंकेक्षण अवधि 4/11 से 3/13 तक परिषद की विभिन्न गाड़ियों की लॉग बुकों की जाँच पड़ताल में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा वाहनों की औसत तेल खपत का सक्षम प्राधिकारी से निर्धारण नहीं करवाया गया, जबकि नियमानुसार यह प्रत्येक वर्ष के प्रारम्भ में निर्धारित की जानी अपेक्षित है। परिषद की वाहनों के औसत तेल खपत निर्धारित न करवाये जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा अपेक्षित कार्यवाही अब करके अगर निर्धारित औसत खपत से कम खपत पाई जाये तो इसकी विभागीय गणना करके उचित स्त्रोत से वसूली की जाये। अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाये।

(क) परिषद सीमा क्षेत्र से बाहर गाड़ी (वाहन) प्रयोग करने पर सक्षम अधिकारी की स्वीकृति ने लेने बारेः–

नगर परिषद बिलासपुर के अंकेक्षण अवधि 4/11 से 3/13 तक गाड़ी संख्या एच0पी0–24–9005 की लॉग बुक (Log book) की जाँच करने पर पाया गया कि वाहन का प्रयोग नगर परिषद सीमा क्षेत्र से बाहर किया गया परन्तु इन सभी यात्राओं की सक्षम अधिकारी से पूर्वोंत्तर स्वीकृति नहीं ली गई। इन सभी यात्राओं का विवरण परिशिष्ट (X) में दिया गया है। अतः इन सभी यात्राओं को सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर नियमित करवाया जाए।

16 नगर परिषद द्वारा बेकार वाहनों, डम्पर, कन्टेनर व डस्टबिनों की नीलामी न करने बारेः–

निम्नलिखित विवरणानुसार परिषद द्वारा अनुपयोगी बेकार वाहनों, डम्पर, कन्टेनर व डस्टबिनों की नीलामी नहीं की गई। परिषद द्वारा बेकार वाहनों व अन्य सामानों का निपटारा

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम खण्ड–I 1997 की धारा 15.3 के तहत करना सुनिश्चित की जाए। अंकेक्षण के दौरान यह पाया गया कि यह बेकार वाहन, कन्टेनर व डस्टबिन परिषद कार्यालय परिसर के मैदान में कई वर्षों से रखे है तथा बाहर मैदान में वर्षा व अन्य कारणों से खराब हो रहे है जिसके कारण इनके नीलामी मूल्य राशि भी घट रही है। अतः इन बेकार वाहनों व अन्य सामान की नीलामी करके राशि को परिषद निधि में जमा करवाया जाना सुनिश्चित करें। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाये।

क्र0सं0	**विवरण**	**अवधि जब खरीद की गई**	**अवधि जब बेकार घोषित किया गया**	**मात्रा**
1	थ्री व्हीलर	1998	2004	1 नं0
2	डम्पर	1998	2008	1 नं0
3	गारवेज कन्टेनर	2006	2012	22 नं0
4	डस्टबिन	2007	2012	2 नं0

17 मोबाईल टावरों की स्थापना एवं नवीनीकरण फीस ₹3.00 लाख की वसूली न करनाः–

नगर परिषद बिलासपुर के अंकेक्षण अवधि 4/11 से 3/13 तक अभिलेख की जाँच पड़ताल करने पर पाया गया कि नगर परिषद क्षेत्र में विभिन्न कम्पनियों द्वारा रिहाईसी एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों के भवनों में मोबाईल टावर स्थापित किये गये है। हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या DIT-DEV(IT) 2005 (MISC) दिनांक 20.8.2006 द्वारा निर्धारित स्थापना एवं नीवीनकरण फीस की बकाया राशि ₹300000/– दिनांक 31.3.2013 को विभिन्न कम्पनियों से वसूल करनी शेष थी जिसका ब्यौरा परिशिष्ट (xi) में दिया गया है। अतः मोबाईल टावरों की स्थापना व नवीनीकरण फीस की बकाया राशि को शीध्र विभिन्न कम्पनियों से वसूल करने के उपरान्त नगर परिषद कोष में जमा करवाया जाये। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

18 नगर परिषद द्वारा स्टॉक का भौतिक प्रत्यक्ष सत्यापन न किया जानाः—

नगर परिषद बिलासपुर के अंकेक्षण अवधि 4/11 से 3/13 तक अभिलेख की जाँच पर पाया गया कि परिषद के स्टॉक मे ंपड़े सामान की प्रत्यक्ष सत्यापना नहीं की गई है जबकि हिमाचल प्रदेश वित्त नियम की धारा 15.17 के अन्तर्गत स्टोर एवं स्टॉक में पड़े सामान की प्रत्येक वर्ष भौतिक प्रत्यक्ष सत्यापना की जानी अपेक्षित है। अतः नियमों के विपरीत प्रत्यक्ष सत्यापना न करवाने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा स्टॉक मे ंपड़े सामान की प्रत्यक्ष सत्यापना करवाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये तथा भविष्य में प्रत्येक वर्ष नियमित रूप से प्रत्यक्ष सत्यापना करवाई जानी सुनिश्चित की जाये।

19 **लघु आपति विवरणिकाः—**यह अलग से जारी नही की गई है क्योंकि समस्त लधु आपतियों का निपटारा स्थल पर ही कर लिया गया है।

20 **निष्कर्षः—** लेखों मे नितान्त सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्याः(V)(36)/2012फिन(एल0ए0)खण्ड—1—3917—19 दिनांक 11.07.2014, शिमला—171009

पंजीकृत प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. निदेशक, शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश शिमला—171002
2. सचिव, नगर परिषद बिलासपुर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को प्रतिवेदन जारी होने से एक मास के भीतर प्रेषित करें।
3. वरिष्ठ उप महालेखाकर ले0व0 ह0,हि0प्र0 शिमला—171003

हस्ता/

उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

परिशिष्ट "i" **पैरा सं0 1.2 से सन्दर्भित**

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में शेष अनिर्णीत पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात शेष पैरों का विवरण।

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1959 से 03/1960 तक

1	पैरा—9	शेष

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1971 से 03/1972 तक

1	पैरा—1	शेष
2	पैरा—7	शेष
3	पैरा—8	शेष

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1972 से 03/1974 तक

1	पैरा—1 से 23	शेष

(घ) सहायक परीक्षक की दिनांक 03.12.1976 की निरीक्षण रिपोर्ट

1	पैरा—7	शेष
2	पैरा—8 (बी) (2)	शेष

(ङ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1974 से 03/1979 तक

1	पैरा—8 (2) (बी) (7)	शेष
2	पैरा—11	शेष
3	पैरा—12 (ए) 7 से (ए) (8)	शेष

(च) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1979 से 03/1981 तक

1	पैरा—3 (बी) (1) 3(बी) (4)	शेष
2	पैरा—3 (सी) (2)	शेष
3	पैरा—5	शेष
4	पैरा—7 (ए) (2) 5	शेष

5	पैरा–8 (बी)	शेष
6	पैरा–10 (1)व (2)	शेष
7	पैरा–11	शेष
8	पैरा–12 (3) 12 (5)	शेष
9	पैरा–13 (ए) 13 (ई)	शेष
10	पैरा–13 (एच) व 13 (आई)	शेष
11	पैरा–15 (2)	शेष
12	पैरा–15 (4) (ए)	शेष
13	पैरा–15 (4) (बी)	शेष
14	पैरा–15 (7)	शेष
15	पैरा–15 (10)	शेष

(छ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1981 से 3/1983 तक

1	पैरा–5 (ए) (1) (ए) 8	शेष
2	पैरा–6 (1) से 6 (4)	शेष
3	पैरा–10 (1) से 10 (2)	शेष
4	पैरा–11 (डी) (एफ)	शेष
5	पैरा–12	शेष
6	पैरा–15 (7)	शेष

(ज) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1983 से 03/1984 तक

1	पैरा–5 (1) 5 (8)	शेष
2	पैरा–9 (7) 9 (8) (बी)	शेष
3	पैरा–12 (6) 7 (ii)	शेष

(झ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1984 से 03/1985 तक

1	पैरा–5 (1) 5 (6)	शेष
2	पैरा–10 (ए)	शेष
3	पैरा–13 (डी)	शेष

4	पैरा–14 (डी)	शेष
5	पैरा–14 (1) व 14 (2) 14 (एल)	शेष

(ञ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1985 से 03/1986 तक

1	पैरा–3 (बी)	शेष
2	पैरा–5 (ए) से (आई)	शेष
3	पैरा–6 (7, 9, 10)	शेष
4	पैरा–16 (बी)	शेष
5	पैरा–17 (बी) व 17 (डी)	शेष
6	पैरा–18 (ए) व (बी)	शेष
7	पैरा–20 (बी) (सी) (ई) (एफ) (जी)	शेष

(ट) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1986 से 03/1987 तक

1	पैरा–3 (बी)	शेष
2	पैरा–5 (बी) 5 (सी)	शेष
3	पैरा–6, 7, 9 व 10	शेष
4	पैरा–11 (1), 11(2), 11(5), 11(6), 11 (8), 11 (9), 11 (11), 11 (12), 11 (14), 11 (17), 11 (20), 11 (21), 11 (23) से 11 (30) तक	शेष
5	पैरा–12, 13, 14	शेष
6	पैरा–15 (ए) (2)	शेष
7	पैरा–15 (ए) (6 से 15)	शेष
8	पैरा–15 (बी)	शेष
9	पैरा–16 से 19 तक	शेष

(ठ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1987 से 03/1989 तक

1	पैरा–7	शेष
2	पैरा–8 (क)	शेष
3	पैरा–8 (2)	शेष

4	पैरा–9 (2)	शेष
5	पैरा–11 (क), 11 (ख)	शेष
6	पैरा–12	शेष
7	पैरा–13 (1) (ए)	आंशिक निर्णीत (₹3326/–की वसूली शेष)
8	पैरा–13 (1) (बी)	शेष
9	पैरा–13 (2)	शेष
10	पैरा–14 (3) से (5)	शेष
11	पैरा–15	शेष
12	पैरा–16 (3) से 21	शेष
13	पैरा–17, 18, 19	शेष
14	पैरा–20 (1) व 20 (2)	शेष
15	पैरा–20 (3) (ख)	शेष
16	पैरा–20 (4)	शेष
17	पैरा–21 व 22	शेष
18	पैरा–23 (1 से 3)	शेष
19	पैरा–24	शेष
20	पैरा–21 (1) व 25 (3)	शेष
21	पैरा–26	शेष

(ङ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1989 से 03/1994 तक

1	पैरा–3 (ग)	शेष
2	पैरा–4	शेष
3	पैरा–8 (ख) से (छ)	शेष
4	पैरा–9, 10, 11	शेष
5	पैरा–13 (क)	शेष
6	पैरा–14 (क से ग)	शेष
7	पैरा–17, 18, 19, 22, 23	शेष
8	पैरा–25 (क)	शेष
9	पैरा–28 (क से ख)	शेष

10	पैरा–29 (ख, ग)	शेष
11	पैरा–34 (क से ग)	शेष
12	पैरा–35 (क)	शेष
13	पैरा–36 (क) 36 (ख)	शेष
14	पैरा–39	शेष
15	पैरा–40 (क) से (घ)	शेष
16	पैरा–41, 42, 43 व 44	शेष
17	पैरा–45 (क) व 45 (ख)	शेष
18	पैरा–46, 47, 48 (क से ग) 49 से 51, 52 (क से ग) 53 से 55	शेष

(ढ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1994 से 03/1997 तक

1	पैरा–3 (ग) (1)	शेष
2	पैरा–4	शेष
3	पैरा–6 व 7	शेष
4	पैरा–8 (1) से 8 (3)	शेष
5	पैरा–11 (क, ख, ग)	शेष
6	पैरा–12 (क से ग)	शेष
7	पैरा–12 (ञ)	शेष
8	पैरा–13 (क, ख)	शेष
9	पैरा–13 (ङ) से (छ)	शेष
10	पैरा–13 (ज) (1)	शेष
11	पैरा–13 (झ)	शेष
12	पैरा–13 (ञ) (1) से (11)	शेष
13	पैरा–13 (ट) से (फ)	शेष
14	पैरा–13 (व) (i) से (v)	शेष
15	पैरा–13 (भ) से (क्ष)	शेष
16	पैरा–14 (i) से (ii)	शेष

(ण) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1997 से 03/2004 तक

1	पैरा–3 (ग) (1 (क) से (ग)	शेष
2	पैरा–3 (ग) (2 (क) से (ख)	शेष
3	पैरा–3 (ग) (3 से 7)	शेष
4	पैरा–3 (घ)	शेष
5	पैरा–6 (ख) से 6 (घ)	शेष
6	पैरा–6 (ङ)	समाप्त
7	पैरा–6 (च) से 6 (ज)	शेष
8	पैरा–7 (क) से 7 (च)	शेष
9	पैरा–8 (ख) से (म)	शेष
10	पैरा–9, 10, 11	शेष
11	पैरा–12 (क) से 12 (ध)	शेष
12	पैरा–12 (ट)	शेष
13	पैरा–12 (ढ़) से 12 (घ)	शेष
14	पैरा–13 (ख) से (ग)	शेष
15	पैरा–13 (ङ) (छ) से (झ)	शेष
16	पैरा–14 (क) (1) से (15)	शेष
17	पैरा–14 (ख) से (ङ)	शेष
18	पैरा–14 (ज) (1 से 5)	शेष
19	पैरा–14 (झ)	शेष
20	पैरा–14 (ञ) (1 से 4)	शेष
21	पैरा–14 (ट) (1 से 3)	शेष
22	पैरा–14 (ङ) 1, 2	शेष
23	पैरा–14 (ढ़) 1, 2 (ण, त, थ) (1 व 2), द, ध, (1 से 3), न (1, 2) प, फ(1, 2) ब (1 से 3) भ (1 से 3) म (1 से 3) य (1 से 4) र, ल, व	शेष
24	पैरा–16 (क) से 16 (ढ़)	शेष
25	पैरा–17 (क) 17 (ख)	शेष

26	पैरा–17 (ग) (1)	समाप्त
27	पैरा–17 (ग) (2) से (ग) (4)	शेष
28	पैरा–17 (घ) से (झ)	शेष

(त) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2004 से 03/2007 तक

नगर परिषद बिलासपुर द्वारा उपरोक्त अवधि के अंकेक्षण प्रतिवेदन मे ंसम्मिलित आडिट पैरों के निपटारे हेतु कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है जो एक गम्भीर अनियमितता है। अतः अनुपालना हेतु राय दी जाती है कि अंकेक्षण प्रतिवेंदन मे सम्मिलित सभी अनिर्णीत पैरों के निपटारे हेतु सटिप्पण उत्तर तैयार करके अभिलेख सहित अंकेक्षण में जांच हेतु तैयार रखे।

(थ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2007 से 03/2009 तक

1	पैरा–2 (ए) (बी)	शेष
2	पैरा–3 (ii)	शेष
3	पैरा–4 (ii)(ख)	शेष
4	पैरा–4 (क)(iv)	शेष
5	पैरा–5 (बी) (क)	शेष
6	पैरा–6 (i)	शेष
7	पैरा–6 (ii)	शेष
8	पैरा–6 (iii) (क)	शेष
9	पैरा–6 (iii) (ख)	शेष
10	पैरा–7 (i)	शेष
11	पैरा–7 (ii) (क)	शेष
12	पैरा–7 (ii) (ख)	शेष
13	पैरा–7 (iii)	शेष
14	पैरा–7 (iv) (क)	शेष
15	पैरा–7 (iv) (ख)	शेष
16	पैरा–7 (iv) (ग)	शेष
17	पैरा–7 (iv) (घ)	शेष

18	पैरा–7 (v) (क)	शेष	
19	पैरा–7 (vi) (क) (i)	शेष	
20	पैरा–7 (vi) (ii)	शेष	
21	पैरा–7 (vi) (ख) (i, ii)	शेष	
22	पैरा–7 (vi) (ग)	शेष	
23	पैरा–7 (vi) (घ) (i, ii, iii)	शेष	
24	पैरा–7 (vii)	शेष	
25	पैरा–8	शेष	
26	पैरा–10	शेष	
27	पैरा–11	शेष	

(द) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.04.09 से 31.03.2011 तक

1	पैरा–3	निर्णीत	(अंकेक्षण शुल्क ₹24600 की राशि हिमाचल प्रदेश स्टेट को0ओ0 बैंक बिलासपुर द्वारा जारी बैंक ड्राफ्ट संख्या 229090 दिनाँक 10.4.2012 के अन्तर्गत जमा करवा दी गई है)
2	पैरा–4.1	निर्णीत	(सम्बन्धित अभिलेख की जाँच कर ली गई है)
3	पैरा–5.1	अनिर्णीत	
4	पैरा–5.2	अनिर्णीत	
5	पैरा–5.3	पैरा हटा दिया गया है व वर्तमान अंकेक्षण अवधि 4/11 से 31.3.13 तक की अंकेक्षण रिपोर्ट मे पैरा संख्या के अन्तर्गत पुनः प्रारूपित	
6	पैरा–5.4	अनिर्णीत	
7	पैरा–6.1	पैरा अपडेटिड पैरों अवधि 31.3.13 तक प्रारूपित किया गया है।	
8	पैरा–6.2	अनिर्णीत	
9	पैरा–6.3		

10	पैरा–6.4	निर्णीत	
11	पैरा–6.4.1	अनिर्णीत	
12	पैरा–6.4.2	अनिर्णीत	
13	पैरा–7.1	अनिर्णीत	
14	पैरा–7.2	निर्णीत	
15	पैरा–7.3	निर्णीत	
16	पैरा–8	निर्णीत	(अपेक्षित राशि की वसूली माह 10/13 में कर ली गई है)
17	पैरा–8.1	निर्णीत	(अपेक्षित राशि की वसूली माह 10/13 में कर ली गई है)
18	पैरा–8.2	निर्णीत	
19	पैरा–9	अनिर्णीत	
20	पैरा–9.1	अनिर्णीत	
21	पैरा–9.2	अनिर्णीत	
22	पैरा–9.3	अनिर्णीत	
23	पैरा–9.4 (1)	अनिर्णीत	
24	पैरा–9.5	अनिर्णीत	
25	पैरा–9.6	अनिर्णीत	
26	पैरा–10	अनिर्णीत	
27	पैरा–11	अनिर्णीत	
28	पैरा–12	अनिर्णीत	
29	पैरा–13		Para updated in the audit report w.e.f 1.4.11 to 31.3.2013 vide Para 8 (क)
30	पैरा–14	अनिर्णीत	
31	पैरा–15	अंशतः निर्णीत क्रम संख्या 1 निर्णीत	
32	पैरा–16	अनिर्णीत	